रा. रा. श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के समक्ष

निग - 1753 - PBR - 14
निग - 1753 - I - 14

लखन पिता कैशाराम पटेल
आयु – 30 वर्ष, व्यवसाय – कृषि
निवासी ग्राम निहालपुरमुण्डी तहसील व जिला इन्दौर – प्रार्थी

श्री आर. क. श. द्वारा आज दि. 10-6-14 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1– कैलाश पिता बाबूलाल खाती
आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
निवासी – ग्राम निहालपुरमुण्डी तहसील व जिला इन्दौर

2– अम्बाराम पिता बाबूलाल खाती
आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
निवासी – ग्राम निहालपुरमुण्डी तहसील व जिला इन्दौर

3– कैशोराम पिता बाबूलाल खाती
आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
निवासी – ग्राम निहालपुरमुण्डी तहसील व जिला इन्दौर

4– सुखमाबाई पति बाबूलाल
आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
निवासी – ग्राम निहालपुरमुण्डी तहसील व जिला इन्दौर

5– सरजूबाई पिता बाबूलाल
आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
निवासी – ग्राम निहालपुरमुण्डी तहसील व जिला इन्दौर – प्रतिप्रार्थीगण

दायरा शाखा में दि. 16/6/14

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला देवास द्वारा प्रकरण क्रमांक 38/बी–121/13–14 में पारित आदेश दिनांक 26.05.2014 से व्यथित होकर प्रार्थी अपनी निगरानी याचिका सादर प्रस्तुत करता है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

यह कि, विद्वान अधीनस्थ तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रार्थी/निगरानीकर्ता के द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया था, प्रकरण में विज्ञप्ति जारी किए जाने पर प्रत्यर्थीगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई एवं साथ ही संलग्न स्वयं का नामान्तरण करने बाबद आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया। विद्वान अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन अपास्त कर दिया गया एवं प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार कर लिया गया जिससे व्यथित होकर अपील याचिका विद्वान अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी ... के समक्ष प्रकरण क्र. 44/2012–13 प्रस्तुत की गई जो वर्तमान

(52)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
10-6-14	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर. एस. सेंगर उपस्थित । उन्हें प्रकरण की ग्राह्यता एवं स्थगन के बिंदु पर सुना गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदकों द्वारा उनके समक्ष म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 30 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर बिना आवेदक को सुने आदेश पारित किया गया है जबकि आवेदक को विधि अनुसार सुना जाना आवश्यक था । यह भी कहा गया कि अंतरण हेतु संहिता की धारा 29 के तहत कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है नाकि संहिता की धारा 30 के तहत । अंतरण के आदेश देने के पूर्व संबंधित पीठासीन अधिकारी से भी कोई प्रतिवेदन नहीं मंगाया गया जो कि विधि अनुसार त्रुटिपूर्ण है । प्रकरण में मात्र एक पक्ष द्वारा लगाए गए आधारहीन आरोप के आधार पर आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि की है । उक्त आधार पर उनके द्वारा निगरानी ग्राह्य किये जाने तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को स्थगित किए जाने का अनुरोध किया गया । 2- आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । कलेक्टर के आलोच्य आदेश से प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा अनावेदक द्वारा उनके समक्ष संहिता की धारा 30 के तहत प्रस्तुत अंतरण आवेदन पर बिना संबंधित पीठासीन अधिकारी से प्रतिवेदन मंगाए एवं बिना दूसरे पक्ष (आवेदक) को सुने आदेश पारित किया गया है जो विधि अनुसार उचित नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश इसी स्तर पर निरस्त करते हुए उन्हें यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे अनावेदकों द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अंतरण आवेदन पर आवेदक को भी सुनवाई का समुचित अवसर दें और तदनुसार आवेदन का निराकरण विधिवत करें । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है । यह प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । (हस्ताक्षर) प्रशा0 सदस्य	(हस्ताक्षर) 10/6